Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ बून्दी में ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति 6,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 26 मार्च, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बून्दी द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण श्री मुखराज निवासी रूणीचा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीचा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दीं एंव श्री किशन गोपाल उम्र 30 वर्ष निवासी कासीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणीचा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी को **6,000/- रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्दी को एक शिकायत इस आशय की मिली की आरोपीगणों द्वारा परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलवाने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है। रिश्वत मांग दिनांक 25.03.2025 को सत्यापन के दौरान आरोपी श्री मुखराज गुर्जर सरपंच पति ने 2000/- रूपये प्राप्त किये थे।

जिस पर एसीबी कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीणा** के सुपरविजन में एसीबी बून्दी के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री हरीश भारती** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण श्री मुखराज निवासी रूणीचा थाना दबलाना जिला बून्दी हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत रूणीचा, पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी एवं श्री किशन गोपाल उम्र 30 वर्ष, निवासी काशीर थाना देवली जिला टोंक हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणीचा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा परिवादी से 6,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।